संख्या-05/2024/आई0/515385/23-7-2024/001-23-7-69-2022

प्रेषक,

रिपुंजय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक 09 मार्च, 2024

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अनुच्छेद-227 के अंतर्गत योजित याचिका सं0-11680/2023 उ0प्र0 सरकार एवं 2 अन्य बनाम मेसर्स सतीश चन्द्र शिवहरे ब्रदर्स में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-9678बी0जी0/245बी0(01)/2023-24, दिनांक 15.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अनुच्छेद-227 के अंतर्गत योजित याचिका सं0-11680/2023 उ0प्र0 सरकार एवं 2 अन्य बनाम मेसर्स सतीश चन्द्र शिवहरे ब्रदर्स में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 के अनुपालन में धनराशि रू0 45,95,972.00 (रूपये पैतालीस लाख पंचानबे हजार नौ सौ बहत्तर रूपये मात्र) मा0 कामर्शियल कोर्ट, आगरा में जमा किये जाने की एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये धनराशि रू0 45,95,972.00 (रूपये पैंतालीस लाख पंचानबे हजार नौ सौ बहत्तर रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी0-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अनुच्छेद-227 के अंतर्गत योजित याचिका सं0-11680/2023 उ0प्र0 सरकार एवं 2 अन्य बनाम मेसर्स सतीश चन्द्र शिवहरे ब्रदर्स में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए अवमुक्त किया जा रहा है।

भवदीय,

रिपुंजय गुप्ता
अनु सचिव।

संख्या-05/2024/आई0/515385(1)/23-7-2024/001-23-7-69-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी आगरा।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी आगरा।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
8- अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रिपुंजय गुप्ता
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।